बिहार सरकार
समाहरणालय, नवादा
नवादा – 805110
(जिला गोपनीय शाखा)

दूरभाष 06324–212253 (कार्या0)
06324–212240 (आवास)
06324–212904 (फैक्स)
email: dm-nawadah.bih@nic.in

पत्रांक–105/गो0, दिनांक–22/01/2025

प्रेषक,

रवि प्रकाश,
भा0प्र0से0,
जिला पदाधिकारी,
नवादा।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रजौली।

विषय :– **मानननीय मुख्यमंत्री, बिहार के नवादा जिला में ''प्रगति यात्रा'' कार्यक्रम के अवसर पर सड़क की मरम्मति कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा नवादा जिला अन्तर्गत **''प्रगति यात्रा''** कार्यक्रम फरवरी में संभावित है। इस अवसर पर रोह–सिउर रोड से कटैया तक लम्बाई लगभग 01 (एक) कि0मी0 (2) रोह–भट्टा सिउर रोड से सरकंडा तक लम्बाई लगभग 05(पांच) कि0मी0 (3) सरकंडा से महावरा रोड लम्बाई लगभग 1.30 कि0मी0 तथा बहादुरपुर से अलीविगहा लम्बाई लगभग 1.10 कि0मी0 की मरम्मति प्राथमिकता सूचि में शामिल करते हुए यथाशीघ्र पूर्ण किया जाना है।

अतएव उक्त परिप्रेक्ष्य में निदेश है कि उक्त सभी वर्णित सड़क की मरम्मति पूर्ण करते हुए कृत कार्रवाई संबंधी ठोसता प्रमाण–पत्र देना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन
22/1/25
जिला पदाधिकारी,
नवादा।

Scanned with CamScanner

ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

DETAILED PROJECT REPORT

YEAR (2024 - 2025)

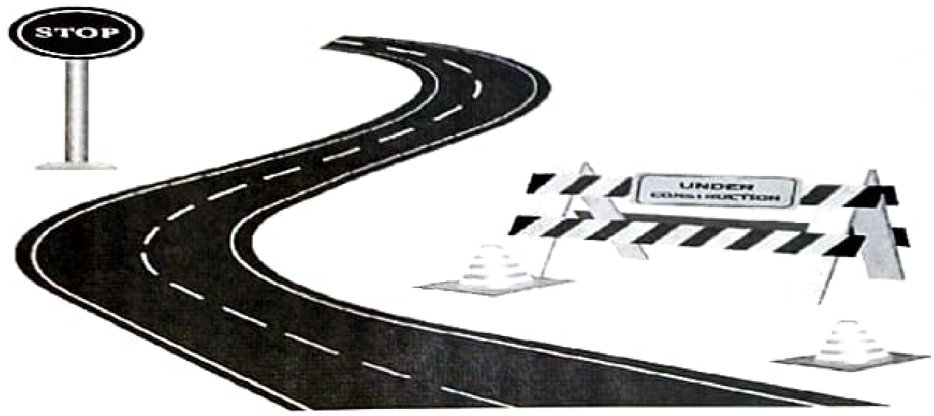

MUKHYA MANTRI GRAMIN SADAK UNNAYAN YOJANA (MMGSUY)

Departmental Works

STATE	:-	BIHAR
DISTRICT	:-	Nawada
BLOCK	:-	Govindpur
NAME OF ROAD	:-	Sarkanda To Mahawara
TOTAL LENGTH OF ROAD	:-	1.330 km
CONSTRUCTION LENGTH OF ROAD	:-	1.330 km
CONSTRUCTION COST INCLUDING (18% G.S.T,1% LABOUR CESS & 10% S.F)	:-	Rs. 49.140 Lacs
COST OF ROAD CONSTRUCTION PER KM	:-	Rs. 36.948 Lacs

Submitted By:

Executive Engineer
RWD (w) Division, Rajauli
Nawada

Departmental Works

(Govt. of Bihar)

YEAR (2024 - 2025)

GENERAL ABSTRACT OF COST

Block:--Govindpur **District:--Nawada**

TOTAL LENGTH OF ROAD (Km) 1.330 KM

Construction Length of Road:-- 1.330 KM

Name of Road:-- Sarkanda To Mahawara

SL. No.	Item of Work	Amount
A	TOTAL COST OF CONSTRUCTION (Inc G.S.T, LABOUR CESS, S.F.)	49.140 Lacs
	TOTAL COST INCLUDING CONSTRUCTON & 5 YEAR MAINTENANCE	49.140 Lacs

Junior Engineer	Asstt. Engineer	Executive Engineer
RWD Section , Govindpur	RWD (w) Sub Division,Govindpur	RWD (w) Division,Rajauli

Departmental Works

(Govt. of Bihar)

YEAR (2024 - 2025)

SUMMARY OF COST ESTIMATE FOR THE PROJECT

NAME OF ROAD :	Sarkanda To Mahawara
DISTRICT	Nawada
BLOCK	Govindpur
TOTAL LENGTH OF ROAD (Km)	1.330
CONST. LENGTH OF ROAD(Km)	1.330
LENGTH OF BT PAVEMENT	925
LENGTH OF CC PAVEMENT	405
CD STRUCTURES	
HUME PIPE	0
BOX CELL CULVERT	0

Sl. No.	DESCRIPTION	AMOUNT (LAKHS)
1	PREPARATORY WORKS ,SITE CLEARANCE , DISMANTLING	0.208
2	EARTHWORK	3.546
3	GSB (GR II)	3.205
4	WMM	1.383
5	PRIME COAT	0.409
6	TACK COAT	0.598
7	SDBC	9.300
8	DRY LEAN CONCRETE	0.508
9	PANEL CONCRETE PAVEMENT	10.389
10	ROAD FURNITURES, LOGO, ROAD MARKING, PLANTATION ETC	2.808
11	COST OF APPROACH ROAD NEAR HELIPAD	8.399
	SUB TOTAL OF PAVEMENT COST IN LACS =	**40.751**
12	**CROSS DRAINAGE STRUCTURES**	
I	HUME PIPE	0.000
II	BOX CULVERT	0.000
III	Utility Pipe (300 mm Dia)	0.000
IV	DISMANTLING OF CD	0.000
V	REPAIR OF CD WORK	0.000
	SUB TOTAL OF CD STRUCTURES COST IN LACS =	**0.000**
	Sub Total ` :--	**40.751**
	Labour Cess @ 1 % on Total Construction Cost ` :--	**0.408**
	Add Seigniorage Fee :--	**0.486**
	GST @ 18 % on Sub Total , Labour Cess & S.F 10% ` :--	**7.496**
A	**Total Construction Cost (GST 18% , L.C 1%& S.F.) (In Lacs):--**	**49.140**
	COST OF ROAD CONSTRUCTION PER KM	**36.948**

15.04.25

Junior Engineer	Assistant Engineer	Executive Engineer
RWD Section , Govindpur	RWD (w) Sub Division,Govindpur	RWD (w) Division,Rajauli

A. A. Details:-

AA vide letter no 622 dt 28/03/25

Comp Cost - 49.140 lakh

Technically Sanctioned for Rs 49.140 lakh
(Rupees Forty nine lac fourteen thousand only.

Certified copy

Sd/-
Superintending Engineer
Rural Works Department
Works Circle, Gaya

[signature] 16.4.2025
Superintending Engineer
Rural Works Department
Works Circle, Gaya

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0 (अ0उ0)–4515–01–97 / 2025 पार्ट–I -622 /पटना, दिनांक– 28-03-2025

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा0प्र0से0
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जाति घटक के अधीन कुल 09 योजनाओं के उन्नयनार्थ स्तम्भ–6 में अंकित लम्बाई (कि0मी0) एवं स्तम्भ–7 में उन्नयनार्थ हेतु कुल राशि **रू0 668.44500 लाख रूपये** मात्र है, पर (कुल 09 योजना) घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जाति घटक के अधीन कुल 09 योजनाओं के उन्नयनार्थ समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिसकी अनुमोदित राशि 0 से 5 करोड़ के बीच में है पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है जिनके लिए स्तंभ 07 में अंकित कुल राशि **668.44500** लाख मात्र है पर घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

क्रम स0	जिला	कार्य प्रमण्डल	प्रखण्ड	योजना का नाम	निर्माण हेतु प्रस्तावित कार्य की लम्बाई (कि0मी0)	कुल प्रशासनिक राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kaimur	Bhabhua	Bhabhua	Bhabhua Mohania Road To Circuit House Bhabhua	0.650	19.50100
2	Purnea	Purnea	Krityanand Nagar	Kamakhya Sthan To Muslim Tola MV Majra	4.050	301.02800
3	Nawada	Rajauli	Rajauli	Bahadurpur To Adil Bigha & Karigaon more NH-20	1.950	42.53100
4	Nawada	Rajauli	Govindpur	Sarkanda To Mahawara	1.330	49.15000
5	Nawada	Rajauli	Govindpur	Roh Siur Road To Sarkanda at Ch-(3rd k.m to 8th km)	5.000	30.58700
6	Aurangabad	Aurangabad	Aurangabad	Fesar Road To Kusi	3.100	12.42700
7	Arwal	Arwal	Karpi	Rajkiya Degree College Belkhara Approach Road	0.161	8.30800
8	Katihar	Manihari	Manihari	Gogan Sah Inara Manihari Amdabad PWD Road to Gogabil Jhil	3.600	199.42500
9	East Champaran	Motihari	Turkauliya	Construction of Diversion	0.086	5.50000
				TOTAL	19.927	668.445

2. मांग संख्या–37–मुख्य शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष – 00, लघु शीर्ष –789–अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष – 0107–मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (अनुसूचित जाति), विषय शीर्ष–5301 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड– **37–4515–00–789–0107**, बजट उपबंध–**700** करोड़ रू0 का बजट उपबंध प्राप्त है। बिहार सरकार, वित्त विभाग के पत्रांक– 12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका 14 के अनुसार प्राप्त बजट के तीन गुणा राशि में से पूर्व के दायित्व के राशि को घटाते हुये नई योजना की स्वीकृति दी जा सकती है।

3. संबंधित कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमण्डल योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं / विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।

4. सारणी में अंकित योजनाओं का विभागीय रुप से कार्य सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
5. इन योजना के चयन के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या–मु0अ0 (अ0उ0)–4515–01–97/2025, दिनांक 12.03.2025 एवं संचिका संख्या–मु0अ0 (अ0उ0) –4515–01– 128/2025 में दिनांक 17.03.2025 को प्राप्त है।
6. सारणी में अंकित योजना का **विभागीय रुप से कराये गये कार्य हेतु घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन** के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार अपर मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या– मु0अ0 (अ0उ0)–4515–01–97/2025 पार्ट–I में प्राप्त है।
7. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
8. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
10. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
11. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।
12. वित्त विभाग के संकल्प सं0–12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
13. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
14. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
15. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।
17. वित्त विभाग के संकल्प सं0–12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका–17 के आलोक में संबंधित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की वैधता स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।

18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– मु0अ0 (अ0उ0)–4515–01–97 / 2025 पार्ट–1 के पृ0–09 / टि0 पर दिनांक–21.03.2025 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

Scanned with OKEN Scanner